PV

ग्राम- बिजौलिया

राजस्थान सरकार

2020/00081

(जनरल ... 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 आर्डेनेंस फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

2010/00081

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	...	दिनांक
1	2	3	4	5
177 वाद-पत्र	19/2020	20-3-2020		3-5-24, 15/7/24, 29/7/24

20/3/24

Adj

17/12/24

11/9/24

13/11/24

26/11/24

बनाम

श्री राज्य सरकार (जरिये तहसीलदार) V/S श्री शिवपाल ... (विजय पिता कुलदीप ...) मनीष कुमार S/o महेन्द्र कुमार ...

निवासी बिजौलिया — निवासी बिजौलिया

24/12/24

17/12/24

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

डिक्रीदार — मदयून

श्री पॅरोवार सरकार — श्री जगदीश चन्द धाकड़

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलियां**

स्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां **बनाम** शिवदयाल s/o कन्हैयालाल धाकड़ को ③

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 19 सन **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
…03/2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। पैराकार सरकार उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 24/03/2020 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	—
…4/3/20	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व मा. राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखें जाने के कारण पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21.4.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
…1/4/20	कोरोना [illegible] मण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व मा. राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त [illegible] लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित [illegible] …तलबी दिनांक 2.6.20 [illegible]	
…/6/20	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व मा. [illegible] मण्डल, अजमेर से प्राप्त [illegible] लॉक[illegible] कार्य स्थगित [illegible] कारण [illegible] तलबी दिनांक 17.6.20 को पे[illegible] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
17/6/20	कोरोना वायरस [illegible] मण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने व मा. [illegible], अजमेर से प्राप्त [illegible] लॉक[illegible] कार्य स्थगित [illegible] कारण [illegible] तलबी दिनांक 14.7.20 को पे[illegible] उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
14/7/20	को[illegible] संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉ[illegible] [illegible], अजमेर से प्राप्त [illegible] [illegible]यिक कार्य स्थगित [illegible] तलबी दि[illegible] 5.8.20 [illegible]कारी [illegible]यां	

5/8/20

कोरो[illegible] ण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने [illegible] मण्डल, अजमेर से प्राप्त [illegible] [illegible] यिक कार्य स्थगित [illegible]

तलबी दिनांक 26.8.20

उपखण्ड अधिकारी

26/8/20

कोरो[illegible] ण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने [illegible] मण्डल, अजमेर से प्राप्त [illegible] लॉकडाउन [illegible] यिक कार्य स्थगित [illegible]

तलबी 16.9.20

उपखण्ड अधिकारी

16/9/20

पत्रावली पेश हुई। पेशकार उपस्थित। प्रतिवादी गण की तामिल हेतु पुनः समन जारी प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि 18.11.20 को पेश हो।

18/11/20

प[illegible] पेश हुई। [illegible] वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] पर है। प्रत्रावली दिनांक 16.12.20 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

16/12/20

पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 13.1.21 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

13/1/21

पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. [illegible] पर है। पत्रावली दिनांक 10.2.21 को वास्ते तलबी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

10/2/21

पत्रावली पेश हुई। पेशकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 16.3.21 को पेश हो।

16/3/21 पत्रावली पेश हुई पेशकार उपस्थित है पत्रावली वास्ते तलबी दि० 19.3.21 को पेश हो।

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया बनाम शिवदयाल s/o कन्हैयालाल धाकड़ वगै. (3)

मुकदमा 117 नं. 19 वर्ष 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उप. प्रतिवादी सं. 2 की वापस तामील प्राप्त हुई जो शामिल मिसल रहे। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से अधि. जगदीश चन्द्र धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। प्रतिवादी सं. 3 के समन तामील पुन: जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब तलबी दि. 25.3.21 को पेश हो। [signature]	
25/3/21	पत्रावली पेश हुई पैरोकार सरकार उपस्थित है प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट जगदीश जी धाकड़ का पेश समय है जवाब प्रतिवादीगण की ओर से पेश किया गया जो शामिल है पत्रावली हक की बहस दौरान पेश हेतु दि 08/4/21 [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
08.04.21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 09.04.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
9/4/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी उप.। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र आ. 7 नि. 11 जा.दी. दि. 15.4.21 को पेश हो।
15/4/21	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 9.6.21 को पेश हो।
9/6/21	कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 22.7.21 को पेश हो।
22/7/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24.11.21 को वास्ते आ. 7 नि. 11 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
24/11/21	प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में पेश हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नहीं बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 23.12.21 को वास्ते आ. 7 नि. 11 पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 13/11/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
13/11/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 26/11/24 को पेश हो
26/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 04/12/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
4/12/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/12/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17/12/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली को शामिल कर, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाए गए। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

...ालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 19/2020 दायर तारीख 20.03.2020

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादी

बनाम्

01. शिवदयाल पिता कन्हैयालाल धाकड़ 1/4 निवासी चान्दजी की खेड़ी
02. विजय पत्नि कुलदीप सनाढ्य 1/2 निवासी बिजौलियां
03. मनीष कुमार पिता महेन्द्र कुमार जैन 1/4 निवासी बिजौलियां तह बिजौलियां

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादीगण
2. जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17/12/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा कि ग्राम केशुविलास पटवार मण्डल जावदा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 148 रकबा 2.16 बीघा बारानी तृतीय पर प्रतिवादीगणों द्वारा कृषि कार्य नहीं किया गया। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 148 रकबा 2.16 बीघा बारानी तृतीय भूमि पर आवंटीयों/प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कब्जा नहीं किया गया व न ही कृषि/खेती कार्य किया जा रहा है। मौका पर्चा संलग्न है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 30/2019 निर्णय दिनांक 18.03.2020 प्राप्त होने से वाद उत्पन्न हुआ है। निर्णय की प्रति संलग्न है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया गया। प्रतिवादीगणें ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने योग्य है। अतः प्रतिवादी की उक्त आराजीयात को खारीज कर बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दिनांक 20.03.2024 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जिनको शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने प्रतिवादीगणों की और से जवाब पेश किया जिसमें बताया गया कि प्रतिवादीयों ने किसी प्रकार से शर्तों का उल्लखन नहीं किया है। प्रतिवादीयों द्वारा वादग्रस्थ आराजी क्रय की एवं उस पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। आवंटन के पश्चात विवादीत आराजी में कृषि कार्य किया तभी तो जिन्सवार में फसल अंकित की गयीं कब्जा काश्त है। इस कारण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने आदेश 07 नियम 11 जा.दी पेश किया

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जिसमें निवेदन किया कि वादपत्र में खातेदारी अधिकारी की शर्तो का उल्लघन की कोई दिनांक वर्णित नहीं की गयी है न ही खातेदारी अधिकार का उल्लंघन करने की रिपोर्ट पेश हुई है। इस कारण खातेदारी अधिकार की शर्त का उल्लंघन की दिनांक व किस खातेदार द्वारा शर्त का उल्लंघन किया गया है। प्रकटीकरण नहीं होने से वाद हेतुक किस दिनांक को किन पक्षकारान के विरूध उत्पन्न हुआ है का प्रकटीकरण नहीं होने से वादपत्र वाद हेतुक के अभाव में रिजेक्ट/खारिज किये जाने योग्य है।

दस्तावेजी साक्ष्य/वाद पत्र में तहसीलदार बिजौलियां ने प्रमाणित मौका पर्चा, ग्राम केशुविलास पटवार क्षेत्र जावदा सम्वत् 2074 से 2077 तक खाता संख्या 209 में अंकित खसरा संख्या 148 रकबा 2.16 बीघा बारानी तृतीय भूमि की जमाबंदी नकल, व न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 30/2019 निर्णय दिनांक 18.03.2020 के निर्णय प्रति पेश की।

न्यायालय द्वारा पत्रावलीं का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया। तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत वाद में यह नहीं बताया गया कि प्रतिवादीयों ने कृषि भूमि को अकृषि के रूप में काम में ली हो। पटवारी जावदा द्वारा बनाये गये मौका पर्चा में भी यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि प्रतिवादीगणों ने भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग लिया हो। तहसील से प्राप्त मौका पर्चा में बताया गया कि आवंटन के पश्चात् नक्शे में कोई जगह नहीं बचती है, अर्थात विवादित आराजी को तरमीम किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार बिजौलियां का क्रमांक/रीडर/2020/1204 दिनांक 19.07.2024 को विस्तृत जांच रिपोर्ट के लिए पत्र लिखा गया परन्तु उसका जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार बिजौलियां की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 प्रतिवादियों के पक्ष में दिनांक 18.03.2020 को खारिज किया गया था। पत्रावली के अवलोकन एवं साक्ष्यों का अध्ययन एवं प्रतिवादिगणों के जबाब एवं पूर्व में पारित निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के निर्णय के अध्ययन एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनने के पश्चात् यह कहीं भी जाहिर नहीं होता ही **प्रतिवादिगणों ने कृषि का अकृषि कार्य में उपयोग किया है।** पत्रावली में आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां की आराजी संख्या 148 रकबा 2.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि पर तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत वाद में अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया। **अतः वाद पत्र खारिज/निरस्त किया जाता है** । डिक्री मूर्तिब हो। तहसीलदार बिजौलियां को सूचनार्थ तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 17/12/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ –भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

बइजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 19/2020

दायर तारीख 20.03.2020

अनवान्

01. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......डिक्रीदार

बनाम्

01. शिवदयाल पिता कन्हैयालाल धाकड़ 1/4 निवासी चान्दजी की खेड़ी
02. विजय पत्नि कुलदीप सनाढ्य 1/2 निवासी बिजौलियां
03. मनीष कुमार पिता महेन्द्र कुमार जैन 1/4 निवासी बिजौलियां तह बिजौलियां

.......मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता डिक्रीदार।
2. जगदीशचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 17/12/2024

डिक्री दिनांक 17/12/2024

–:डिक्री:–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता जगदीशचन्द्र धाकड़ उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम **खारिज कर** डिक्री पारित कर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम केशुविलास पटवार हल्का जावदा तहसील बिजौलियां की आराजी संख्या 148 रकबा 2.16 बीघा किस्म बारानी तृतीय भूमि पर तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत वाद में अकृषि कार्य नहीं होना पाया गया। **अतः वाद पत्र खारिज/निरस्त किया जाता है** । तहसीलदार बिजौलियां को डिक्री की सूचनार्थ तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....फीस दी सालाना बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil .... आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 12 वर्ष 2024 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां